केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

20 जुलाई 2016
परिपत्र संख्या.: शै-28/2016

समावेशी शिक्षा के लिए परीक्षा सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन
[23 व 24 अगस्त 2016]

यूनेस्को के वर्ष-1994 के सालमानका विवरण के अनुसार:

समावेशी अनुकूलन के साथ नियमित विद्यालय भेदभाव के रुख को रोकने के सबसे प्रभावकारी साधन हैं, सत्कार पूर्ण समुदाय का सृजन, समावेशी समाज का निर्माण और सभी के लिए शिक्षा की उपलब्धता: इसके अतिरिक्त वे अधिकांश बच्चों को प्रभावकारी शिक्षा प्रदान करते हैं, दक्षता में सुधार करते हैं और अंतत: सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की लागत प्रभावकारी होती है।

यूनस्केप-वर्ष 2012 इन्चेआन योजना:

नि:शक्ताओं वाले व्यक्तियों के सुर गिने जाने के लिए "गणना में शामिल हों" नि:शक्तताओं वाले व्यक्तियों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होने तक प्रभावकारी नीति का निर्माण संभव नहीं है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मंगलवार 23 व बुधवार 24 अगस्त 2016 को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन की मेजबानी प्रस्तावित करती है। सम्मेलन का उद्देश्य विद्यालय प्रमुखों के सामूहिक संगठन, पुनर्वास व्यवसायियों और विशेषज्ञों को एक साथ इकठ्ठा करना है, जो कि अपने अवलोकन, नवप्रवर्तन पद्धति, अनुभव और परिप्रेक्ष्य इस पहलू पर रख सकें।

सम्मेलन के लिए विषय

1. समावेशन की डिकोडिंग करना
2. अभिवृत्तियां जो हितधारकों की दृष्टि को रंग देता है।
3. विद्यमान परीक्षा प्रावधान
4. परीक्षा सुधार: सुझावों के लिए आमंत्रण
5. कौशल विकास के द्वारा सशक्त बनाना
6. विविध क्षमता वाले पूर्व विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की आवाज

वर्ष 2009 के बच्चों के लिए निशुल्क और आवश्यक शिक्षा का अधिकारों के अधिनियम 2009 इस विश्वास के साथ उद्घोंषित है कि समानता सामाजिक न्याय और प्रजातंत्र के मूल्य तथा एक मानविक समाज का निर्माण सभी के लिए केवल समावेशी शिक्षा के प्रावधानों के माध्यम से ही संभव है। वंचित और गरीब समाज के बच्चों को सन्तोषप्रद गुणवत्ता की मुफ्त व आवश्यक शिक्षा के प्रावधान इसलिए केवल उचित द्वारा या उसकी सहायता से चलाए जा रहे विद्यालयों का ही उत्तरदायित्व नहीं है, वरन विद्यालय जो सरकारी निधि पर आश्रित नहीं हैं का भी दायित्व है।

विद्यार्थियों को शैक्षिक और कौशल विकास दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करने के ध्येय को पूर्ण करने के साथ ही, बोर्ड यह मानता है कि यथोचित एकीकृत हस्तक्षेप में ही उपचार निहित है, ताकि ऐसे विद्यार्थी अपना शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त कर सकें। बोर्ड परीक्षा के समय सहयोग के भाग के अनुरूप, लेखन सहायक, अतिरिक्त समय, एक व्यस्क प्रोत्साहक, एक भाषा के पढ़ने से छूट तथा विषय के चयन में लचीलापन प्रदान करता है।

अत: बोर्ड दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में आपकी उत्साहजनक भागीदारी आमंत्रित करता है, जो कि आपके लिए भी अमूल्य अवसर होगा:

- नि:शक्त जन अधिनियम 1995 की सूची के अनुसार, हितधारकों और समुदाय की, विविध अशक्तताओं के प्रति जागरूकता के लिए उपायों और साधनों की विवेचनात्मक जाँच।
- विविध क्षमताओं के विद्यार्थियों को शारीरिक, संवेदी और भावात्मक बाधाओं जिसका वे अधिगम में दैनिक रूप से सामना करते हैं, को पार करने या व्यवस्था करने के लिए उपायों को सुझाना।
- ऐसे शिक्षार्थियों को उचित सुविधाओं/प्रावधानों के उपायों को सुझाना।
- एक विशेषज्ञ के रूप में अपने अवलोकन, अनुभव और परिप्रेक्ष्य को बाँटना।

सर्वप्रथम मानसिक अवधारणा को सुधारें!

हमेशा सही शब्दावली का प्रयोग कर, नि:शक्तता के लिए एक सामान्य मानविक विविधता की अवधारणा बनाएं:

नि:शक्तता के साथ विद्यार्थी
चलने फिरने में बाधा
अधिगम अक्षमता
संप्रेषण में नि:शक्तता
भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थी
विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी
दृष्टि बाधित विद्यार्थी
विकासात्मक रूप से पिछड़े अधिगमकर्ता

भागीदारिता के लिए मापदण्ड:

1. निम्न लिखित श्रेणी के संबद्ध विद्यालयों के और पुनर्वास व्यावसायिक यथा:
   i. **विद्यालय प्रमुख**
   ii. **विशेष शिक्षक**
   iii. **विविध क्षमताओं (दिव्यागों) के विद्यार्थियों को संभालने में अनुभवी नियमित विषयों के शिक्षक**
   iv. **पुनर्वास व्यावसायिक**
2. उपरोक्त श्रेणी से 60 भागीदारों को आमंत्रित किया जाएगा।
3. इच्छुक विद्यालय/व्यावसायिक (संलग्नक) पंजीकरण फार्म भरकर ई-मेल के रूप में inclusion.cbse@gmail.com को 10 अगस्त 2016 या इससे पूर्व भेजकर अपनी भागीदारी की इच्छा की पुष्टि कर सकते हैं।
4. चयन **समावेशी शिक्षा** में समग्र अनुभव के आधार पर होगा।
5. भागीदार को चयन के पश्चात् 1000/- रुपये (अप्रतिदेय) का भुगतान करना होगा। उन्हें अपनी यात्रा और रहने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। स्थान और अन्य अद्यतन सूचनाएं चयनित भागीदारों को प्रेषित की जाएगी।

अन्य सूचनाओं के लिए कृपया डॉ० सन्दीप जैन, संयुक्त निदेशक (स०शि०) को 011-23231247 पर या डॉ० प्रज्ञा वर्मा उप निदेशक (स०शि०) से 011-23220158 पर संपर्क करें, या inclusion.cbse@gmail.com पर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिलिपि के साथ sugandh.cbse@gmail.com पर अपने प्रश्न प्रेषित करें।

***अन्य अद्यतनों के लिए वेबसाइट www.cbseacademic.in पर जाएं।**

हस्ताक्षरित/-
सुगंध शर्मा
अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)

अधोलिखित, समस्त निदेशालयों, संगठनों, संस्थानों के प्रमुखों और अधिकारियों को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना प्रदान करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष, वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 अपर महानिदेशक, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना), एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (निकट ए पी एस), दिल्ली कैंट-110010.
12 अवर सचिव (ईई-1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001
13 सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी के.मा.शि.बो. को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति प्रेषित करने हेतु
14 सभी एसोसिएट प्रोफेसर और अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
15 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक-निदेशक, वोकेशनल सेल, के.मा.शि.बो.
16 प्रभारी अधिकारी आई.टी.परिपत्र को के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर डालने हेतु
17 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, के.मा.शि.बो.
20 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
21 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के वरिष्ठ निजी सचिव
22 सचिव, के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
23 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के वरिष्ठ निजी सचिव
24 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के वरिष्ठ निजी सचिव
25 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के वरिष्ठ निजी सहायक
26 अपर निदेशक एवं प्रभारी (अनुसंधान एवं नवाचार) के निजी सहायक

अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवाचार)